



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062026-273922
CG-DL-E-29062026-273922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3269]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3269]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3403(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 5261(E). तारीख 18/11/2025, S.O. 328(E). तारीख 21/01/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में NH160A के कि.मी. 110 से कि.मी.156 (मोखाडा-जव्हार) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22/11/2025 को "दैनिक नव शक्ति", 22/11/2025 को " द फ्री प्रेस जर्नल " में प्रकाशित किया गया था;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27/05/2026 को "दैनिक नव शक्ति", 28/05/2026 को " द फ्री प्रेस जर्नल " में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में NH160A के कि.मी. 110 से कि.मी. 156 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पालघर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जव्हार					
गांव का नाम: जव्हार					
1	१३२	निजी	कृषि	0.0015	विपिन डाहयालाल सावला 132/1
2	२१६	निजी	कृषि	0.0209	निर्मला जनार्दन खादे, पांडुरंग जगन्नाथ गोरे, बाळकृष्ण जगन्नाथ गोरे, भारती रमेश मुकणे, रेखा ईश्वर गोंदके, केशव हनुमंत गोरे, दिपक हनुमंत गोरे, विलास जगन्नाथ गोरे, मिरा जगन्नाथ गोरे भारती रमेश मुकणे, रेखा ईश्वर

					गोंदके, केशव हनुमंत गोरे, दिपक हनुमंत गोरे, निर्मला जनार्दन खादे, पांडुरंग जगन्नाथ गोरे, बाळकृष्ण जगन्नाथ गोरे, विलास जगन्नाथ गोरे, मिरा जगन्नाथ गोरे रेखा ईश्वर गोंदके, मीरा जगन्नाथ गोरे, विलास जगन्नाथ गोरे, पांडुरंग जगन्नाथ गोरे, बाळकृष्ण जगन्नाथ गोरे, भारती रमेश मुकणे निर्मला जनार्दन खादे, दिपक हनुमंत गोरे, केशव हनुमंत गोरे. श्री गुरुदेव बहुदेशिय सामाजिक संस्था जव्हार तर्फे संचालक, श्रीम. प्रमिला औदुंबर कोकड गणेश मधुकर गोरे, विमल मधुकर गोरे. 216
3	९६	निजी	कृषि	0.0112	विक्रम रामा गोरे, कुसुम कांतिलाल मेहता 96/1
Total				0.0336	

[फा.सं. RW/NH-12037/2/MAH-MISC-ZONE-IV/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3403(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 5261(E). Dated:18/11/2025, S.O. 328(E). Dated:21/01/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to

acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH160A in the stretch of land from Km. 110 to Km. 156 (Mokhada-Jawhar) in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “DAINIK NAV SHAKTI” dated 22/11/2025, “THE FREE PRESS JOURNAL” dated 22/11/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the substance of the said notification has been published in “DAINIK NAV SHAKTI” dated 27/05/2026, “THE FREE PRESS JOURNAL” dated 28/05/2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH160A in the stretch of land from Km. 110 to Km. 156 in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PALGHAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jawhar					
Village: Jawhar					
1	132	Private	Agricultural	0.0015	Bipin Dahyalal Sawla 132/1
2	216	Private	Agriculture	0.0209	Nirmala Janardhan Khade, Pandurang Jagannath Gore, Balkrishna Jagannath Gore, Bharti Ramesh Mukne, Rekha Ishwar Gondke, Keshav Hanumant Gore, Deepak Hanumant Gore, Vilas Jagannath Gore, Mira Jagannath Gore Bharti Ramesh Mukne, Rekha Ishwar Gondke, Keshav Hanumant Gore, Deepak Hanumant Gore, Nirmala Janardhan Khade, Pandurang Jagannath Gore, Balkrishna Jagannath Gore, Vilas Jagannath Gore, Meera Jagannath Gore

					Rekha Ishwar Gondake, Meera Jagannath Gore, Vilas Jagannath Gore, Pandurang Jagannath Gore, Balkrishna Jagannath Gore, Bharti Ramesh Mukne Nirmala Janardhan Khade, Deepak Hanumant Gore, Keshav Hanumant Gore. Shri Gurudev Multipurpose Social Society Jawhar Director, Shri. Pramila Audumbar Kokad Ganesh Madhukar Gore, Vimal Madhukar Gore 216
3	96	Private	Agricultural	0.0112	Vikram Rama Gore, Kusum Kantilal Mehta 96/1
Total				0.0336	

[F. No. RW/NH-12037/2/MAH-MISC-ZONE-IV/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director